Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005

Participants : Manjhi Shri Rajesh Kumar

>

Title : Need for a CBI inquiry into the alleged irregularities in disinvestment of Ashoka Hotel of ITDC at Bodhgaya in Bihar.

श्री राजेश कुमार मांझी (गया) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गया के अंतर्गत बोधगया में आई.टी.डी.सी. का होटल अशोका है, जिसकी सालाना आय रु.1,98,00000/- (रुपए एक करोड़ अट्ठानवे लाख) थी, उसका टेंडर मात्र रु.2,01,00000/- (रुपए दो करोड़ एक लाख) में बिका। निविदा, एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचान के लिए की गई है। विनिवेश के सारे नियम-कानूनों को ताक पर रखते हुए उस व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए उस होटल को अपने नाम से करा लिया है।

होटल का क्षेत्रफल 7 एकड़ है। सारी जमीन का मूल्य लगभग 17 करोड़ 92 लाख रुपए है। यह निविदा, दोपहर बाद, 3 बजे खोली गई और रात के 8 बजे इसका फैसला कर दिया गया। निविदा लेने वाले व्यक्ति ने भारत सरकार के श्रम कानून के विपरीत होटल के अधिकांश कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिससे वे और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और कइयों की मृत्यु हो चुकी है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से, केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि विनिवेश के इस सारे प्रकरण की सरकार सी.बी.आई. से जांच कराए।